



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128686-DB

सुरक्षित :- 18.06.2026

प्रदत्त :- 23.06.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 753 वर्ष 2026

नितिन राजेश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहित सिंह, सुबीर लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: धनंजय अवस्थी

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा सुनाया गया)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री मोहित सिंह और प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री धनंजय अवस्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्री नीतीश कुमार श्रीवास्तव की बातें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है :-

“(i) 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के तहत उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी को इस माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश करने का निर्देश दिया जाए; और सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 (कमिशनरेट मेरठ) की धारा 19 (1) (b) और 19 (1) (l) के तहत मुकदमा संख्या 1490-ए/2026 में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, हिरासत, रिमांड और लगातार कस्टडी को गैर-कानूनी, मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए, और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया जाए।

(ii) मेरठ कमिशनरेट के सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 की धारा 19 (1) (b) और 19 (1) (i) के तहत मुकदमा संख्या 1490-ए/2026 में रिमांड मजिस्ट्रेट / स्पेशल सी.जे.एम. मेरठ द्वारा 14.05.2026 को पारित रिमांड आदेश (एनेक्जर संख्या 5) को रद्द करने के लिए 'सर्टिओरारी' की प्रकृति का उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।



(iii) 'मैन्डमस' के तहत कोई उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने और गैर-कानूनी गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड से जुड़ी किसी भी आगे की कार्रवाई पर अमल न करने का निर्देश दिया जाए;

(iv) कोई भी उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सही और उचित समझे;

(v) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च दिलाना।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को डीआईएन का ज़िक्र करने और बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 में गिरफ्तारी से जुड़े नियमों का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता ने खास तौर पर विभाग द्वारा बनाए गए दस्तावेज़ पर डीआईएन को पिछली तारीख में दर्ज करने का मुद्दा उठाया, जिससे याचिकाकर्ता पर गैर-कानूनी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाने का मामला सामने आता है।

4. हैरानी की बात यह है कि जब याचिकाकर्ता ऊपर बताए गए अपराध के सिलसिले में जेल में था, तब संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उन्हीं तथ्यों और आरोपों के आधार पर उसे मौजूदा मामले यानी मुकदमा संख्या 1490ए/2026 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 19 (1) (b) और 19 (1) (i) के तहत गिरफ्तार कर लिया; और यह सब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के संबंधित नियमों के तहत कोई तलाशी या ज़ब्त की कार्रवाई किए बिना किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता का संक्षिप्त प्रोफाइल तैयार किया गया, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत उस पर कथित मुकदमे के लिए किसी डीआईएन का ज़िक्र नहीं था; और इसमें 24.04.2026 को उसकी पिछली गिरफ्तारी की बात भी नहीं बताई गई थी।

6. प्रतिवादी विभाग के अधिकारियों ने इस आधार पर कार्यवाही शुरू की कि याचिकाकर्ता की आज़ाद आवाजाही से मामले की जाँच पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को बहला-फुसला सकता है, धमका सकता है या कोई वादा कर सकता है ताकि वह जाँच अधिकारी को ऐसी जानकारी न दे; और यह माना गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी थी।

7. 11.05.2026 की कथित मंजूरी में किसी डीआईएन का ज़िक्र नहीं है, और न ही इसमें याचिकाकर्ता की 25.4.2026 को हुई पिछली गिरफ्तारी का कोई ज़िक्र है। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की मंजूरी देने के सभी कारण साफ़ तौर पर काल्पनिक, मनमाने और गैर-कानूनी हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से ही जेल में था; इसलिए उसके लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं था, और न ही वह मामले की सही जांच में कोई बाधा डालने की स्थिति में था। इस तरह, कानून की नज़र में पूरी कार्यवाही अमान्य हो जाती है। हैरानी की बात है कि 11.5.2026 की मंजूरी में बोर्ड द्वारा 23.12.2019 और 17.8.2022 को जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का ज़िक्र होने के बावजूद, उस कम्युनिकेशन में किसी डीआईएन का कोई ज़िक्र नहीं है। इस वजह से कानून की नज़र में वह कम्युनिकेशन अमान्य हो जाता है, क्योंकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विभाग के अपने बाध्यकारी सर्कुलर का पालन नहीं किया गया, जिससे गिरफ्तारी कानून की नज़र में गैर-कानूनी हो जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के सभी आधार स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी हैं, क्योंकि यह पहले के मामले में इकट्ठा की गई सामग्री पर आधारित थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता पर वाद संख्या 1490/2026 के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण अधिनियम, 2025' के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और वह पहले से ही 25.4.2026 से जेल में बंद है।

8. जो आधार बताए गए हैं, उनके अनुसार ऐसी उचित आशंका है कि अगर याचिकाकर्ता को हिरासत में नहीं लिया गया, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या आगे की जांच में बाधा डाल सकता है। ये आधार स्पष्ट रूप से काल्पनिक और मनमाने हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से ही जेल में बंद है और ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके, गवाहों को प्रभावित कर सके या आगे की जांच में बाधा डाल सके। इस प्रकार, यह पूरी कवायद स्पष्ट रूप से केवल दिखावा है, जिसका मकसद किसी तरह याचिकाकर्ता को जेल में ही बनाए रखना है। उस दस्तावेज़ में दिए गए विश्वास करने के कारण भी टालमटोल वाले और भ्रम पैदा करने वाले हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से झूठे और गलत तथ्यों पर आधारित हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 12 (एफ) के तहत तलाशी और ज़ब्त से जुड़ी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, और न ही किसी ज़रूरी वजह का ज़िक्र किए बिना इतनी देर से याचिकाकर्ता की रिमांड मांगने का कोई उचित कारण है। जब कथित तलाशी, ज़ब्त और पंचनामा तैयार करने के समय केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के किसी भी प्रावधान का सहारा नहीं लिया गया, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता की बाद में की गई गिरफ्तारी कानून की नज़र में गैर-कानूनी और गलत है।

9. धारा 13 के तहत मिली गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे और मनमाने ढंग से किया गया, जिससे याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अमान्य हो गई। 'गिरफ्तारी के आधार' या 'विश्वास करने के कारणों' पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनर की न तो कोई मुहर है और न ही हस्ताक्षर; इस वजह से यह दस्तावेज़ बिना पुष्टि और बिना हस्ताक्षर वाला हो गया है, जिससे याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी गैर-कानूनी हो जाती है। याचिकाकर्ता को दिए गए दस्तावेज़ यानी 'गिरफ्तारी के आधार' या 'विश्वास करने के कारणों' में किसी गवाह का ज़िक्र नहीं है; साथ ही, प्रतिवादी विभाग द्वारा तैयार की गई याचिकाकर्ता की संक्षिप्त प्रोफाइल में किसी सहायक दस्तावेज़ को एनेक्ज़र (संलग्नक) के तौर पर नहीं बताया गया है, और न ही कोई गिरफ्तारी मेमो ही तैयार किया गया था।

10. प्रतिवादी विभाग के अधिकारियों ने शुरू से ही गलत जानकारी दी है और याचिकाकर्ता की 25.04.2026 को हुई पिछली गिरफ्तारी की बात छिपाई है। गिरफ्तारी के कारणों, कमिशनर की कथित मंजूरी या गिरफ्तारी के आधारों में से किसी में भी इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की प्रक्रिया ही गलत हो जाती है। रिमांड का आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी और बिना सोचे-समझे दिया गया लगता है, क्योंकि जब रिमांड मांगने के कारण ही साफ तौर पर झूठे और गलत थे, तो रिमांड मजिस्ट्रेट के पास याचिकाकर्ता को रिमांड पर भेजने का कोई आधार ही नहीं था। रिमांड मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड पर साफ तौर पर दिख रही एक गलती की; उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया कि न तो सेंट्रल एक्साइज़ एक्ट, 1944

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत कोई तलाशी या ज़ब्ती की कार्रवाई हुई थी, और न ही कमिश्नर की मंजूरी, गिरफ्तारी के आधार या विश्वास करने के कारणों पर ध्यान दिया गया। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि याचिकाकर्ता पहले से ही जेल में है और वह किसी भी तरह से जांच में दखल नहीं दे सकता था या गवाहों/सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। याचिकाकर्ता से सिर्फ कागज़ों पर दस्तखत करवाए गए, जब उसे न्यायालय/रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा था, जबकि उसे रेस्पॉण्डेंट अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गिरफ्तारी के असली 'आधारों' या विश्वास करने के 'कारणों' के बारे में भी नहीं बताया गया था।

11. ऊपर बताई गई बातें साबित करती हैं कि याचिकाकर्ता को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया और उसकी आज़ादी से वंचित किया गया, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले उसके जीवन और आज़ादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता की हिरासत पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

12. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता को न तो 14.05.2026 से गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था और न ही उसे गैर-कानूनी कस्टडी में रखा गया था। विभाग ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले सभी नियमों का ठीक से पालन किया था। **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (एस.एल.पी.(सीआरएल संख्या 5191 of 2021, फैसला दिनांक 11.7.2022) का हवाला देना पूरी तरह से गलत है।**



13. याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले अधिकारियों ने विश्वास करने के कारणों को विधिवत दर्ज किया था। गिरफ्तारी के आधार विधिवत तैयार किए गए और कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता को सौंपे गए।

14. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी को देखने के बाद, हम पाते हैं कि रिट याचिका में सेंट्रल एक्साइज़ एक्ट के तहत कथित मुकदमे के सिलसिले में विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों पर डीआईएन जेनरेट न किए जाने के बारे में साफ़ तौर पर कहा गया है। प्रतिवादियों ने इस बात से साफ़ तौर पर इनकार नहीं किया है। इस मामले में विभागीय गाइडलाइंस का पालन करने के बारे में भी कोई साफ़ बात नहीं कही गई है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर रखे गए (विश्वास करने के कारण) अस्पष्ट और टालमटोल वाले लगते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि न तो गिरफ्तारी के आधार और न ही " विश्वास करने के कारण " पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त/आयुक्त की मुहर या हस्ताक्षर हैं। पहली नज़र में, रिमांड का आदेश बिना ठीक से सोचे-समझे यांत्रिक तरीके से दिया गया लगता है और इसलिए, इसे कानून के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता।

15. हम यह भी पाते हैं कि प्रतिवादी ने अपने जवाब (काउंटर एफिडेविट) के पैराग्राफ 37 में कहा है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जवाब में, डीआईएन जारी होने की तारीख और समय दिखाने वाला कोई भी दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि डीआईएन के बिना गिरफ्तारी के आधार कब तैयार किए गए थे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में उसके किसी परिवार के सदस्य या दोस्त को सूचित किया गया था या नहीं; ऐसा लगता है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बी.एन.एस.एस. की धारा 48 का उल्लंघन हुआ है, जबकि गिरफ्तारी की मंजूरी देते समय कमिशनर ने अधिकृत अधिकारी को आरोपी के परिवार के सदस्यों को सूचित करने का निर्देश दिया था। इसलिए, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के समय उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। गिरफ्तारी के आधार पर लिखा गया डीआईएन हाथ से लिखा हुआ है, जो 23.12.2019 के सर्कुलर का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता को बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) के तहत कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 9(1)(b) और 9(1)(i) के तहत लगाए गए आरोपों में अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है।

16. ऊपर की गई चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सोच-समझकर बनाई गई राय है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड गैर-कानूनी है और कानून की नज़र में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

17. कार्यालय द्वारा आज ही याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जारी की जाए।

18. हालाँकि, प्रतिवादी के पास यह अधिकार होगा कि वह कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करे।

23 जून 2026

रोहित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ) (न्यायमूर्ति विवेक सरन)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!